

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10696 / 4626

दिनांक :- 15-10-19

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री हरीश चन्द गुप्ता [लिंक न. 10696] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, खण्डार, सवाई माधोपुर - [14732] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्ग असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 11/06/2019 से 13/06/2019 तक 3 दिवस (चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर)

कुल 3 दिवस

उक्त कुल 3 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री हरीश चन्द गुप्ता की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10696 / 4626

दिनांक :- 15-10-19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, खण्डार, सवाई माधोपुर
2. कोषाधिकारी सवाई माधोपुर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री हरीश चन्द गुप्ता [10696] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, खण्डार, सवाई माधोपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

(शिर्षी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)